छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4225/2004

याचिकाकर्ता : जयप्रकाश पाठक, पिता स्वर्गीय विद्याधर, पाठक, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी–ग्राम बौरीपारा, मंदिर के पास, पोस्ट अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा : प्रमुख सचिव, (जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, सचिवालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ०ग०)

2) मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा : प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, सचिवालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म. प्र.)

3) मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, (जल संसाधन विभाग), सिंचाई विभाग, बिलासपुर (छ०ग०)

4) अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनाई परियोजना, (जल संसाधन विभाग) सिंचाई विभाग, पोस्ट अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०)

5) कार्यपालन अभियंता, बरनाई नहर प्रभाग (जल संसाधन विभाग), सिंचाई विभाग, पोस्ट अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4225/2004

याचिकाकर्ता : जयप्रकाश पाठक

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 20 नवंबर, 2006 को सूचीबद्ध करें ।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4225/2004

याचिकाकर्ता : जयप्रकाश पाठक

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।

: उत्तरवादीगण क्र. 1, 3, 4 और 5 के लिए श्री ए. एस. कछवाहा, शासकीय अधिवक्ता।

: उत्तरवादी क्र. 2 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 20 नवंबर, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान याचिका में उत्तरवादीगण को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्र. 3485/2003 के रूप में उसी प्रकृति की एक याचिका दायर की थी, जिसमें समान अनुतोष की मांग की गई थी, अर्थात याचिकाकर्ता स्वर्गीय विद्याधर पाठक के पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने और उसे प्रदान करने के लिए उत्तर वादियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसके पिता स्वर्गीय विद्याधर पाठक उत्तरवादीगण के अधीन कार्यरत थे और उन्हें दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में दिनांक 22.11.1983 से पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ किया गया था। वह सरगुजा जिले के गांव तुला में पदस्थ थे। सेवा के दौरान कुटुंब के उन सभी आश्रित सदस्यों, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, को पीछे छोड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता एक शिक्षित बेरोजगार युवक है जो अनुकंपा के आधार पर रोजगार चाहता है। याचिकाकर्ता ने समाजशास्त्र में एमए पास किया है और उसके पिता की मृत्यु पर उसकी मां ने मुख्य अभियंता, बिलासपुर को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के आवेदन पर उत्तरवादी संख्या 3 मुख्य अभियंता, बिलासपुर ने उत्तरवादी संख्या 4 अधीक्षक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद याचिकाकर्ता के आवेदन को अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया। उत्तरवादी संख्या 4 ने उत्तरवादी संख्या 3 के निर्देश के जवाब में याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को उत्तरवादी संख्या 5 को अग्रेषित कर दिया, परंतु उत्तरवादी संख्या 5 ने कोई कार्रवाई नहीं की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के पश्चात दिनांक 23.1.2004 को रिट याचिका क्र. 3485/2003 का निराकरण(अनुलग्नक पी/6) करते हुए याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्र. 2 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विस्तृत अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता अनुदत्त की।

4. याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा विचार किया गया और उत्तरवादी क्र. 3 ने आदेश दिनांक 4.5.2004 द्वारा याचिकाकर्ता के

अभ्यावेदन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था और दिनांक 10.6.2003 के कार्यकारी परिपत्र के खंड 3 (1) के अनुसार, याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी पर आश्रित होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है।

5. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 3485/2003 में पारित आदेश दिनांक 23.1.2004 के अनुसरण में उत्तरवादी क्र. 3 मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2004 (अनुलग्नक पी/7) के आदेश की सत्यता और विधिमान्यता को चुनौती दिए बिना उसी अनुतोष की मांग करते हुए यह याचिका फिर से दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने कुछ अन्य आधारों का आग्रह किया है, अर्थात्, याचिकाकर्ता नियमित कर्मचारी था, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर, सरगुजा के पत्र दिनांक 21.8.1997(अनुलग्नक पी / 2) का अवलंब लिया था, जो मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग को लिखा गए था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के नाम पर शासकीय ज्ञापन दिनांक 20 जून, 1996 को दृष्टिगत रखते हुए नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। यह स्वीकृत की गई स्थिति है कि मृतक कर्मचारी को नियमित करने का कोई आदेश कभी पारित नहीं किया गया था।

7. चाहे जो भी हो, एक बार विवाद उत्थापित किये जाने और इस न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय लिए जाने के बाद, उसी अनुतोष की मांग करते हुए, उसी वाद हेतुक पर द्वितीय याचिका विचारणीय नहीं है। यह निर्णय प्रांग निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

8. **राजेन्द्र कुमार बनाम कल्याण (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि {(2000) 8 एस. सी. सी. 993}** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 14 और 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: –

> "14 . प्रांग निर्णय के सिद्धांत को संहिता में विवेक के मामले के रूप में वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई है और एक ही पक्ष के बीच विवाद या एक ही पक्ष के तहत मुकदमा चलाने के मामले में अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए एक निष्कर्ष या निर्णय को उचित महत्व दिया गया है। इस प्रकार यह सिद्धांत पक्षों के बीच विवाद की अंतिमता प्राप्त करने के लिए है, जो विवेक का सिद्धांत है, ताकि न्यायालय के निष्कर्ष को प्रभावोत्पादकता प्रदान की जा सके, न कि पक्षों को कमोबेश उन्हीं मुद्दों पर बार–बार मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सके और इस प्रकार विचारों के टकराव की संभावना उत्पन्न हो सके। न्यायिक निर्णय की अपनी विशेष पवित्रता होती है और भविष्य में किसी भी समय एक ही प्रकार के या समान मुद्दों पर चर्चा का विषय नहीं हो सकता। विवाद्यक तथ्य वह है जिसमें किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए एक से अधिक प्रयास किए गए हैं और प्रत्येक प्रयास में वह विशेष तथ्य अस्वीकृत हो गया है।
>
> 17. पूर्वन्याय या रचनात्मक पूर्वन्याय का सिद्धांत मुख्य रूप से समानता, शुद्ध अंतःकरण और न्याय का सिद्धांत है। यह न तो न्यायसंगत होगा और न ही निष्पक्ष और न ही न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कि पहले समाप्त हुए विषय को बाद में एक अलग कार्यवाही में रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।... ... ."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कथित कारणों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित आदेश को देखते हुए, इस याचिका को रद्द किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

ठाकुर

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur